राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प0 16(2)साप्र/2/2024 जयपुर दिनांक 16.01.2025

–:आदेश:–

सम्मेलनों एवं बैठकों में अल्पाहार दिये जाने के संबंध में पूर्व में प्रचलित इस विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2016 के अधिक्रमण में निम्नानुसार व्यय की दरें संशोधित की जाती है:–

क्र.स.	पदनाम	प्रति व्यक्ति व्यय राशि
1.	मंत्रीगण/मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/राज्य स्तरीय बैठके, जिनमें भारत सरकार/अन्य सरकारों के प्रतिनिधि अथवा राज्य से बाहर के व्यक्ति भाग लेने वाले हो।	40.00 रूपये प्रति व्यक्ति तक
2.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष/अति. विभागाध्यक्ष तथा उसके समकक्ष अधिकारियों के स्तर पर आयोजित की जाने वाली बैठकों हेतु।	30.00 रूपये प्रति व्यक्ति तक

व्यय करते समय निम्न बिन्दुओं पर भी ध्यान रखा जावेगाः–

1. इस बात की पूर्ण सतर्कता बरती जायेगी कि वर्षभर में आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जावेगा।
2. सम्मेलनों एवं बैठकों में अल्पाहार पर किए जाने वाले व्यय के बिलों को मंत्रीगणों के विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण/विशिष्ठ शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों के निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक व अन्य अधिकारियों के द्वारा स्वयं प्रमाणित किए जा सकेंगे।
3. ऐसी बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए।
4. बैठकों की समयावधि 2 घण्टे से कम नहीं होनी चाहिए।
5. यह केवल उन बैठकों के लिए है जो कमेटी रूम में आयोजित की जाती है न कि संबंधित अधिकारियों के कक्ष/चैम्बर में आयोजित की जाने वाली बैठकों के लिए, जिसके लिए वित्त विभाग ने पृथक से आदेश जारी कर रखे है।

यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 162402356 दिनांक 07.01.2025 द्वारा प्रदान की गई सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(दाताराम)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्रीगण/मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख विशेषाधिकारी (टिजेके), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
9. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ आदि।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
5. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. पंजीयक राजस्व मंडल, अजमेर।

Signature valid

Digitally signed by Dataram
Designation : Joint Secretary
Date: 2025.01.16 18:53:14 IST
Reason: Approved

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 12983847